

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठाधीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चाडौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 133/2017

अपीलान्त

बंनम

रेस्पॉन्डेंट :-

1. अशोक पुत्र लार्जम
 2. प्रहलाद पुत्र लार्जम जामिण देवासी
- निवासीगण आसन जांघवन तहसील
मारवाड जंघन

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान श्रृ राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक अपीलान्त

सरकारी धोकर, रेस्पॉन्डेंट की ओर से *प्राधिकृत अधिकारी*

:- निर्णय :-

दिनांक:- 20.11.17

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज श्रृ राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 454/2016 में तहसीलदार मारवाड जंघन धारा 29/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 के विरुद्ध धेश की धारा राजस्व अपील संख्या 29/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 के विरुद्ध धेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉन्डेंट की जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गाम नीवा की खजंडी तहसील मारवाड जंघन के खसरा नम्बर 974 रकबा 0.50 हेक्टेयर किम्स 10शु नाला की भूमि पर अपीलान्त का कब्जा काबत दर्शाते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23.11.2016 को तारीख धेशी पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया तथा नियत तारीख धेशी पर अपीलान्त की उपस्थिति दर्शाते हुए अपीलान्त आदेश पारित किया। उक्त भूमि पर अपीलान्त का कब्जा होना बताया है, जबकि माके पर अपीलान्त का कब्जा ही नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को साक्ष्य सौल प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया एवं अपीलान्त को पेशवातवर्ती अतिक्रमण का साबित हुए तीन माह के सिविल कारवास से टिडित किया, जबकि पेशवातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु किसी प्रकार का रेकॉर्ड पेशवातवर्ती पर नहीं है। पटवारी हत्का द्वारा पेशवातवर्ती प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंघन के समक्ष प्रस्तुत किया एवं अधिनस्थ न्यायालय ने भी बिना किसी श्राव किं, अपीलान्त आदेश पारित किया है। अपीलान्त के विरुद्ध गलत रूप से प्रकरण निरन्तरित करते हुए बंदखली एवं सजा का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। राजस्थान श्रृ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रकरण में जिस स्थानित नियम कायदों की पालना करनी होती है, उनको नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के विरुद्ध आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेशवातवर्ती अतिक्रमण को किसी भी रूप में पेशवातवर्ती नहीं किया है तथा बिना किसी साक्ष्य सौल के तीन माह के सिविल कारवास से टिडित किया है, जो विधि विरुद्ध है। सिविल कारवास के टण्ड से टिडित किया है, जबकि वर्तमान में माके पर अपीलान्त का अतिक्रमण भी पेशवातवर्ती अतिक्रमण की पालना करनी होती है, उनको नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के विरुद्ध आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेशवातवर्ती अतिक्रमण को किसी भी



राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
4

मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांक 13.07.2017 से होती है, जिसमें उन्होंने यह अंकित किया कि ग्राम नीबो की खेजड़ी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 974 रकबा 0. 50 हेक्टेयर किस्म गौमूडो नाला की भूमि से अतिक्रमी अशोकगंज, प्रहलादगंज द्वारा अतिक्रमण हटया जा चुका है। राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना है। लिहाजा अपीलेंट को जैर अपील आदेश के जरिये दी गई सजा को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलेंट की अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपील संख्या 29/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.05. 2017 एवं तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 454/16 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2016 को अपस्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मारवाड जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलेंट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
(श्री 0 बनारसिंह चौहान)